

वल्लिपुत के कगार पर मधकि भाषा

[स्रोत: द हट्टि](#)

केरल के करविलूर ग्राम पंचायत के नज़दीक कूकनम की सुदूर कॉलोनी में चकलिया समूह को अपनी भाषा मधकि (Madhika) के आसन्न नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

- वर्तमान में केवल दो लोग बचे हैं जो मधकि के अंतिम धाराप्रवाह वक्ता हैं। उन्हें इस बात का डर है कि उनके नधिन से कहीं यह भाषा दुनिया से वल्लिपुत ना हो जाए।

मधकि भाषा और चकलिया समुदाय के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- मधकि भाषा:**
 - मधकि की उपेक्षा को चकलिया समुदाय से जुड़े सामाजिक विद्वेष के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और उन्हें अछूत समझा जाता था।
 - मधकि एक ऐसी भाषा है जिसकी कोई लिपि नहीं है और यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ तथा मलयालम का मशिरण है। यह कन्नड़ के समान होने के बावजूद, अपने विविध भाषायी प्रभावों के कारण सुनने वालों को भ्रमति करती है।
 - मधकि काफी हद तक कन्नड़ के पुराने रूप हव्यक कन्नड़ से प्रभावित है।
 - दस्तावेज़ीकरण की कमी (कोई स्क्रिप्ट नहीं) और पुराने वक्ताओं के नधिन के कारण, एक महत्त्वपूर्ण जोखिम है कि मधकि व्यक्तियों से परे जीवित नहीं रह सकती है।
- चकलिया समुदाय:**
 - चकलिया समुदाय मूल रूप से खानाबदोश था और थरुवेंकटरमण तथा मरयिममा के उपासक थे। वे सदियों पहले कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तरी मालाबार में चले गए।
 - मूल रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत इस समुदाय को बाद में केरल में अनुसूचित जाति समूह में पुनर्वर्गीकृत किया गया।

भारत की भाषायी विविधता कैसी है?

- ऐतिहासिक परदृश्य:**
 - भारत के पास विविध भाषाओं और लेखन प्रणालियों के साथ एक समृद्ध भाषायी वरिसत है।
 - भारत में लेखन का इतिहास लगभग चार हज़ार साल पहले सधु घाटी सभ्यता के दनों से चला आ रहा है।
 - भाषायी सर्वेक्षण:**
 - औपनिवेशिक शासन के दौरान पहला भाषायी सर्वेक्षण वर्ष 1894 से 1928 के दौरान किया गया और 179 भाषाओं तथा 544 बोलियों की पहचान की गई।
 - वर्ष 1991 में भारत की जनगणना में 1576 मातृभाषाओं को अलग-अलग व्याकरणिक संरचनाओं और 1796 भाषण कस्मों के साथ सूचीबद्ध किया गया था जिनमें अन्य मातृभाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - युनेस्को के अनुसार, 10,000 से कम व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को "संभावित रूप से लुप्तप्राय" माना जाता है।
 - भारत के भाषा परिवार:**
 - भारत में प्रमुख भाषा परिवार हैं, जिनमें इंडो-आर्यन, द्रवडियन, ऑस्ट्रिक, तबिबती-बर्मन और अन्य शामिल हैं।
 - वल्लिपुत होने का खतरा:**
 - एक गैर सरकारी संगठन (भाषा रसिर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर) के भाषायी सर्वेक्षण, पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (PLSI) के अनुसार, लगभग 400 भाषाएँ हैं जो अगले 50 वर्षों में वल्लिपुत होने के खतरे में हैं।
 - खतरे में अधिकांश भाषाएँ सीमांत जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं, जिनके बच्चों को बहुत कम या कोई शिक्षा नहीं मिलती है। यदि वे स्कूल जाते हैं तो नरिदेश अक्सर संवधान में मान्यता प्राप्त भारत की 22 भाषाओं में से एक में प्रदान किया जाते हैं।
 - बना लिपि वाली भाषाओं में भीली भाषा की तरह वल्लिपुत होने का खतरा अधिक होता है।

संकटग्रस्त भाषाओं के संरक्षण हेतु क्या पहल की गई हैं?

- लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना (भारत)
- अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (यूनेस्को)

भारत में भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 29:
 - यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को अपनी वंशिक भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है।
- आठवीं अनुसूची:
 - भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है।
 - भारत में वर्तमान में छह भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 'शास्त्रीय' भाषा का दर्जा प्राप्त है।
- अनुच्छेद 350A:
 - प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करनी होगी।
- अनुच्छेद 350B:
 - भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये "वैशेष अधिकारी" की नियुक्ति का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 351:
 - केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत के संदर्भ में, 'हल्बी, हो और कुई' पद किससे संबंधित हैं - (2021)

- पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप
- वाद्ययंत्र
- प्रागैतहिसिक गुफा चित्रकला
- जनजातीय भाषाएँ

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- राज्य में रहने वाली जनजातियों की विशाल आबादी के कारण ओडिशा का भारत में एक अद्वितीय स्थान है। ओडिशा में 62 जनजातीय समुदाय निवास करते हैं जो ओडिशा की कुल आबादी का 22.8% है।
- ओडिशा की जनजातीय भाषा 3 मुख्य भाषा परिवारों में विभाजित है जो ऑस्ट्रो-एशियाटिक (मुंडा), द्रवड़ि और इंडो-आर्यन हैं। प्रत्येक जनजात की अपनी भाषा तथा भाषा परिवार होता है। इनमें नमिनलखित भाषाएँ शामिल हैं:
 - ऑस्ट्रो-एशियाटिक: भूमजि, बरिहोर, रेम (बोंडा), गाता (ददियाई), गुटब (गदाबा), सोरा (साओरा), गोरम (पारंगा), खड़िया, जुआंग, संताली, हो, मुंडारी, आदि।
 - द्रवड़ि: गोंडी, कुई-कोंध, कुवी-कोंध, कसान, कोया, ओलारी, (गदाबा) परजा, पेंग, कुडुख (उरांव) आदि।
 - इंडो आर्यन: बथुडी, भुइयां, कुरमाली, सौंती, सदरी, कंधन, अघरिया, देसिया, झरिया, हल्बी, भतरी, मटिया, भुंजिया आदि।
- इन भाषाओं में से केवल 7 भाषाओं के पास ही लिपि हैं। वे हैं संथाली (ओलचिकी), साओरा (सोरंग सपेंग), हो (वारंगचिती), कुई (कुई लिपि), ओरांव (कुखुद तोड़), मुंडारी (बानी हसिरि), भूमजि (भूमजि अनल)। संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

अतः विकल्प (D) सही उत्तर है।

प्रश्न. नमिनलखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत भाषाओं में चार भाषाएँ जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? (2008)

- संविधान (90वाँ संशोधन) अधिनियम
- संविधान (91वाँ संशोधन) अधिनियम
- संविधान (92वाँ संशोधन) अधिनियम

(d) संवधान (93 संशोधन) अधनियम

उत्तर: (c)

??????:

परश्न. क्वा हम वैश्वकि पहचान के लएि अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजयि (2017)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/madhika-language-on-brink-of-extinction>

